



झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

विज्ञान एवं प्रावैधिकी परिसर (साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी कैम्पस),
सिरखा टोली, नामकुम, राँची – 834010 (झारखण्ड)

पत्रांक – JUT-269/2024/Reg./1564

/राँची, दिनांक-26/12/2024

प्रेषक,

सहायक कुलसचिव,
झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
नामकुम, राँची।

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य,

सभी राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान/सभी राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान,
पी0पी0पी0 मोड पर संचालित सभी पोलिटेकनिक संस्थान,
संबद्धता प्राप्त सभी गैर-राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान।

विषय:- शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में डिप्लोमा अभियंत्रण/गैर-अभियंत्रण पाठ्यक्रम अंतर्गत विभिन्न शाखाओं में नियमित सेमेस्टर/वार्षिक तथा पार्ष्विक प्रवेश योजना के अन्तर्गत नामांकित विद्यार्थियों द्वारा भरे जाने वाले ऑन-लाईन निबंधन आवेदन पत्रों को अनुमोदित/अस्वीकृत किये जाने के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक- JUT-269/2024/Reg./1490, दिनांक – 05/12/2024

महाशय/महाशया,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि शैक्षणिक वर्ष- 2024-25 में डिप्लोमा अभियंत्रण/गैर-अभियंत्रण पाठ्यक्रम अंतर्गत विभिन्न शाखाओं में नियमित सेमेस्टर/वार्षिक तथा पार्ष्विक प्रवेश योजना के अन्तर्गत क्रमशः प्रथम सेमेस्टर/वर्ष तथा तृतीय सेमेस्टर/द्वितीय वर्ष में नामांकित विद्यार्थियों द्वारा प्रासंगिक पत्र के आलोक में ऑन-लाईन निबंधन आवेदन पत्र निर्धारित अवधि तक विलम्ब शुल्क रहित तथा विलम्ब शुल्क सहित भरे गये हैं।

संबंधित संस्थानों में नामांकित कुछेक विद्यार्थियों द्वारा कतिपय कारणवश (ग्रामीण क्षेत्रों में Network Problem, साधन का अभाव एवं शारीरिक अस्वस्थता होने के फलस्वरूप) निर्धारित समयावधि तक ऑन-लाईन निबंधन आवेदन पत्र नहीं भरा जा सका, तत्संबंधी ऑन-लाईन निबंधन आवेदन पत्र भरे जाने के लिए “Gyanjyoti” Link को पुनः खोलने संबंधी अनुरोध की गई है। तदालोक में विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विद्यार्थियों द्वारा ऑन-लाईन निबंधन प्रमाण पत्र (विलम्ब शुल्क सहित) जमा करने की तिथि को दिनांक – 28.12.2024 से दिनांक – 31.12.2024 तक तथा संस्थान द्वारा उसे “Approve/Disapprove” करने की तिथि को दिनांक – 03.01.2025 तक विस्तारित की जाती है। साथ ही संबंधित विद्यार्थियों की विवरणी तैयार कर Hard Copy में पूर्व के निर्धारित दिशा-निर्देश के आलोक में दिनांक – 04.01.2025 तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना चाहेंगे।

शेष अन्य नियम एवं शर्तें प्रासंगिक पत्रों के ही अनुरूप रहेंगी।

नोट – उक्त निर्धारित तिथि को जिन विद्यार्थियों द्वारा निबंधन आवेदन पत्र भरा जायेगा, केवल उसे ही संस्थान द्वारा Approved/Disapproved किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

सहायक कुलसचिव,

झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
राँची।

26/12/24